

17/2/22

वकील कारी उप० नहीं। वार-वार आवाज दिगाई गई।  
वादी व वकील कारी को अन्तिम आवाज साय 5-30 बजे  
दिगाई गई। वकील कारी उप० नहीं। अतः वार कारी अदम  
हाजरी व अदम पैरवी में एारिज किया जाता है पशुवली  
नम्बर से कम होकर बाद तक वकील वा रिफा व प्रवा हो। सुगायगा

सहायक कलक्टर  
अलवर

